नवम्बर 18, 2020 सरकारी आदेश 2020-73

सरकारी आदेश 2020-73
(COVID-19 सरकारी आदेश संख्या 69)

टियर 3 शमन आदेश

जबकि, मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बड़े पैमाने पर बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 600,000 से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 11,000 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, हमेशा विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि, यह महत्त्वपूर्ण है कि इलिनॉय के जो निवासी बीमार हो जाते हैं उनके पास चिकित्सा पेशेवरों के आवश्यक देखभाल तक पहुँच हो, जिसमें अस्पताल का बिस्तर, आपातकालीन कक्ष का बिस्तर, या वेंटिलेटर हैं, यदि आवश्यकता हो; और,

जबकि, यह भी महत्त्वपूर्ण है कि राज्य के स्वास्थ्य देखभाल और प्रथम प्रतिक्रिया कार्यबल के पास मरीज़ों का सुरक्षात्मक तरीके से इलाज करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं की प्रतिक्रिया देने के लिए,और संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) हों; और,

जबकि, इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना कर रहा है और इसके अनुरूप स्वयं को ढ़ाल रहा है, यह रोग एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है और यह कि अभी-भी इसका कोई प्रभावी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य में निवासियों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, प्रथम प्रतिक्रिया कर्मियों और सरकारों पर जो बोझ पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबकि, COVID-19 को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद, यह वायरस लगातार तेज़ी से फैला है, जिसके फलस्वरूप संघीय व राज्य सरकारों को उल्लेखनीय कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी है; और,

जबकि, CDC की अब यह सलाह है कि कपड़े के फ़ेस कवर या मास्क पहनने वाले को भी और उसके आस-पास मौजूद लोगों को भी COVID-19 से सुरक्षा देते हैं; और,

जबकि, परिणामस्वरुप, CDC ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर कपड़े के फ़ेस कवर पहनने की अनुशंसा करता है जहां सामाजिक दूरी के उपायों का पालन करना कठिन है; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान और मार्गदर्शन इंगित करता है कि आउटडोर में संचरण का जोखिम घर के अंदर संचरण के जोखिम से कम है; तथा,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि जो लोग एक ही घर में नहीं रहते हैं उन के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है; और,

जबकि, जैसे राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वाइरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, जिस समय मैंने प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) जारी की थी तब इलिनॉय की एक काउंटी में COVID-19 के 11 पुष्टीकृत मामले थे; और,

जबकि,आज तक, इलिनॉय की सभी 102 काउंटियों में COVID-19 के पुष्टीकृत मामलों की संख्या 600,000 से अधिक है; और,

जबकि, इलिनॉय में COVID-19 से होने वाली पहली मृत्यु की घोषणा मार्च 17, 2020 को की गई थी; और,

जबकि, आज, नवंबर 18, 2020 तक, COVID-19 के कारण इलिनॉय के 11,000 से भी अधिक निवासियों की मृत्यु हो चुकी है; और,

जबकि, शुरू से ही, अध्ययन से पता चला है कि हर पुष्ट मामले के साथ कई और अज्ञात मामले होते हैं, जिनमें से कुछ लक्षण रहित व्यक्ति होते हैं, जो अनजाने ही दूसरों को वाइरस का संक्रमण दे सकते हैं; और,

जबकि, राज्य में नए COVID-19 मामलों की संख्या पिछले कई हफ्तों से बहुत बढ़ गई है, और वाइरस हज़ारों व्यक्तियों को लगातार संक्रमित करता है एवं प्रतिदिन बहुत से इलिनॉय निवासियों की जान लेता है; और

जबकि, COVID-19 वैश्विक-महामारी केवल सबसे अधिक जनसंख्या वाली काउंटियों में सीमित नहीं है, और आज तक, राज्य के सभी क्षेत्रों की काउंटियों में COVID-19 के जोख़िम में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है; और,

जबकि, सावधानियों के बिना COVID-19 कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी तेजी से फैल सकता है; उदाहरण के लिए, जैस्पर काउंटी में, एक अकेले पहले सक्रंमित उत्तरदाता ने एक नर्सिंग होम का दौरा किया और संक्रमणों की श्रृंखला को जन्म दिया, यह राज्य में उच्चतम संक्रमण दरों में से एक थी; और इसी तरह, रैंडोल्फ काउंटी में भी एक अकेले संक्रमित व्यक्ति ने मार्च के मध्य में एक कार्यक्रम में भाग लिया, जिस कारण इस काउंटी को भी राज्य की उच्चतम संक्रमण दरों में से एक के रूप में परिणाम भुगतना पड़ा; और,

जबकि, राज्य भर में कई काउंटियों ने पिछले 7 दिनों में प्रति 100,000 लोगों पर 75 से अधिक मामलों की रिपोर्ट की है; और,

जबकि, राज्य और इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने एक शमन योजना बनाई है जो क्षेत्र में एक निश्चित स्तर का खतरा होने पर अतिरिक्त रूप से सावधानियां रखने के लिए है; और,

जबकि, आज तक, राज्य के सभी क्षेत्रों में ये अतिरिक्त न्यूनीकरण रणनीतियां सक्रिय की जा चुकी हैं; और,

जबकि, जहां पूर्व में इलिनॉय वासियों द्वारा बरती गईं सावधानियों ने राज्य में COVID-19 के मामलों और मौतों में वृद्धि को धीमा किया था, वहीं अब राज्य में मामलों की संख्या एक बार फिर विस्फोटक गति से बढ़ रही है; और,

जबकि, COVID-19 ने अनुपातहीन रूप से ऊँची दर पर इलिनॉय के अश्वेत और हिस्पेनिक निवासियों की जानें ली हैं और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करना जारी रखा है – जिससे स्वास्थ्य संबंधी विषमताएं एवं असमानताएं उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई हैं; और,

जबकि, जैसे-जैसे वाइरस इलिनॉय में फैला है, राज्य के सामने संकट का बढ़ना जारी है और एक लगातार विकसित होती प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ताकि अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मी और प्रथम प्रतिक्रिया कर्मियों को इलिनॉय के सभी निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें, और यह लगातार अपडेट होने वाले CDC के मार्गदर्शन के अनुरूप हो; और,

जबकि, अस्पताल में भर्तियों की संख्या अब तेज़ी से दोबारा बढ़ रही है; और इलिनॉय में अस्पताल शैया और ICU शैया का उपयोग प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से अधिक है; और, यदि COVID-19 मामलों की संख्या में उछाल जारी रहता है, तो राज्य के सामने इन अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की कमी उत्पन्न हो सकती है; और,

जबकि, 11,000 से भी अधिक इलिनॉय वासियों को दुखद मृत्यु देने एवं दसियों हज़ारों और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट करने के अतिरिक्त, COVID-19 ने व्यापक आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को ख़तरे में डाल रहा है;

जबकि, COVID-19 स्कूलों के लिए भी असाधारण रूप से बाधाकारी रहा है, इसलिए राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक यह है कि सुनिश्चित किया जाए कि छात्र गुणवत्ता-पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हों तथा स्कूल छात्रों, शिक्षकों एवं समुदाय के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में भी सक्षम हों; और,

जबकि, पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर, और COVID-19 के तेजी से प्रसार पर गौर करते हुए, तथा संपूर्ण राज्य के लोग आगामी महीनों में जिन निरंतर जारी स्वास्थ्य एवं आर्थिक दुष्प्रभावों का अनुभव करेंगे उन पर विचार करते हुए, नवम्बर 13, 2020 को मैंने घोषित किया कि इलिनॉय में COVID-19 के प्रसार से संबंधित जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वे इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act)के अनुभाग 4 के अंतर्गत एक महामारी आपातकाल एवं एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बनती हैं; और,

अतः, इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझमें निहित शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), और 7(8), 7(9) और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों के अनुरूप, मैं निम्नलिखित आदेश देता हूँ, जो नवंबर 20, प्रातः 12:01 से प्रभावी हैं:

<u>टियर 3 शमन आदेश</u>

1. **<u>इस कार्यकारी आदेश का आशय।</u>** इस सरकारी आदेश का उद्देश्य सख्त सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को स्थापित करना है जो पूरे राज्य में वायरस के विस्फोटक विकास को रोकने हेतु COVID-19 के प्रसार को धीमा करने के लिए जाने जाते हैं। हम हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को अभिभूत करने का जोख़िम नहीं ले सकते हैं, और हमें इलिनॉय के सभी निवासियों के स्वास्थ्य एवं जीवन को, विशेष रूप से हमारे राज्य के उन निवासियों जो सर्वाधिक अरक्षित हैं, के स्वास्थ्य और जीवन को प्राथमिकता देनी ही है। इस कारण से, इस सरकारी आदेश का उद्देश्य सभाओं को सीमित करना है और लोगों को जितना संभव हो घर में रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही, यह सरकारी आदेश अधिकांश उद्योगों को संचालन जारी रखने की अनुमति देता है, हालांकि काफी निचले स्तर पर, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में व्यवधान को कम किया जाए और लोगों को आवश्यक कार्य करने की अनुमति दी जाए। इस कार्यकारी आदेश का प्रयोजन उन लक्ष्यों को प्रभावी करना है।

   यह सरकारी आदेश, सरकारी आदेश 2020-43 का स्थान लेता है। क्षेत्रीय शमन उपायों को लागू करने वाले सरकारी आदेश प्रभावी रहते हैं। जहां पूर्व मार्गदर्शन और इन टियर 3 शमन उपायों का तात्पर्य अलग-अलग मानकों से हो, वहाँ अधिक प्रतिबंधात्मक मानक लागू होते हैं।

2. **<u>व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं।</u>** व्यक्तियों को अपने एवं अपने पड़ोसियों के स्वास्थ्य एवं जीवन के संरक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:

a. **<u>सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं।</u>** उस सीमा तक जबकि व्यक्ति अपने निवास के बाहर होने के दौरान, जिसमें बाहर खुले में होना शामिल है, साझा स्थानों का उपयोग कर रहे हों, उन्हें सारे समय और तर्कसंगतता की अधिकतम संभव सीमा तक, ऐसे हर अन्य व्यक्ति जो उनके साथ नहीं रहता है, से कम-से-कम छः फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी।

b. **<u>सार्वजनिक स्थानों पर या काम के स्थान पर चेहरे को ढंकें।</u>**[1] कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु दो वर्ष से अधिक है और जो चिकित्सकीय दृष्टि से चेहरे के ढंकने को सहन कर सकता है (एक मास्क या चेहरे को ढंकने वाला कपड़ा), को लोगों के बीच होने पर और छह फीट की सामाजिक दूरी कायम ना रख पाने पर अपने नाक और मुंह को ढंकना होगा। यह आवश्यकता लागू रहेगी, भले ही व्यक्ति किसी भवन के अंदर के स्थान में हो, जैसे किसी स्टोर में, या किसी सार्वजनिक बाहरी खुले स्थान पर, जहां छः फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता है।

c. **<u>वृद्ध व्यक्तियों और बीमारी के कारण कमज़ोर हो गए व्यक्तियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।</u>** जो लोग COVID-19 से गंभीर रुग्णता के उच्च जोख़िम में हैं, जिनमें वृद्ध लोग एवं ऐसी स्वास्थ्य स्थिति से ग्रस्त लोग शामिल हैं जो उन्हें अरक्षित बना सकती है, उनसे आग्रह है कि वे अपने निवास स्थान में ही रहें और दूसरों से व्यक्तिगत संपर्क को अधिकतम संभव सीमा तक घटा दें।

d. **<u>एकत्रण सीमित करें।</u>** जब तक इस सरकारी आदेश से छूट नहीं मिलती है, तब तक एक से अधिक परिवारों की इनडोर सभाएँ इस सरकारी आदेश द्वारा निषिद्ध की गईं हैं। आउटडोर सभाएं अधिकतम दस लोगों तक सीमित हैं। इस शासकीय आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं जो किसी एक घर या निवास के सदस्यों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाता हो। क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क COVID-19 के संचरण का सबसे बड़ा जोखिम प्रस्तुत करता है, इसलिए इलिनॉय के निवासियों को दूसरों के साथ व्यक्तिगत-संपर्क को सख़्ती से सीमित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूर रहते हुए एकत्र होना परिवार या निवास स्थान से बाहर के लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे सुरक्षित तरीका बना हुआ है।

e. **<u>जहां संभव हो, गतिविधियों को आउटडोर में संचालित करें।</u>** सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन यह सुझाव देता है कि भवन में अंदर रहने के विपरीत, बाहर खुले में होने पर COVID-19 के संचार का जोख़िम काफ़ी घट जाता है। इलिनॉय वासियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जहां संभव हो वहां वे अपनी गतिविधियां बाहर खुले में संचालित करें।

3. **<u>व्यवसायों, अलाभ संगठनों, एवं अन्य संगठनों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं।</u>** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, इसमें शामिल किए गए व्यवसायों में सेवा की प्रकृति, (K-12 संस्थानों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में अनुदेशात्मक गतिविधियों को छोड़कर) उसके कार्य, या उसकी कॉर्पोरेट या इकाई संरचना की परवाह किए बिना, कोई भी लाभकारी, गैर-लाभकारी या शैक्षिक इकाई शामिल हैं। इन इकाइयों/संस्थाओं/कंपनियों को अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, और उनके प्रचालनों के भौतिक संपर्क में आने वाले अन्य सभी लोगों के संरक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित उपाय करने होंगे:

a. **<u>सभी व्यवसायों की जरूरतें।</u>** सभी व्यवसायों को:

- मूल्यांकन करना जारी रखना चाहिए कि कौन से कर्मचारी घर से काम करने में सक्षम हैं, और जब भी संभव हो घर से कार्य करने की उन्हें सुविधा देनी चाहिए;

[1] इस संपूर्ण कार्यकारी आदेश में, फ़ेस कवर पहनने की आवश्यकता के सभी संदर्भों में दो वर्ष एवं इससे छोटे बच्चों को और ऐसे व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है जिनके लिए फ़ेस कवर पहनना चिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इलिनॉय मानवाधिकार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स) की ओर से फ़ेस कवर के उपयोग के बारे में मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Face-Coverings_During_COVID-19_Ver_2020511b%20copy.pdf

- यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं और जब सामाजिक दूरी हमेशा संभव न हो तब वे फ़ेस कवर पहनें;
- यह सुनिश्चित करें कि सभी स्थान जहां कर्मचारी एकत्रित हो सकते हैं, जिसमें लॉकर रूम और लंचरूम शामिल हैं, सामाजिक दूरी के लिए अनुमति देते हैं; और
- सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल पर आने वाले सभी आगंतुक (ग्राहक, वेंडर, इत्यादि) सामाजिक दूरी व्यवहार में ला सकते हों; पर यदि छः फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखना सारे समय संभव नहीं हो, तो उन्हें आगंतुकों को फ़ेस कवर पहनने के लिए प्रोत्साहित करना होगा; और
- जहाँ ग्राहकों से आमने-सामने का कार्य हो वहाँ लोगों की संख्या कुल क्षमता के 25 प्रतिशत तक ही सीमित करें; और
- COVID-19 आपातस्थिति के दौरान कार्यस्थलीय सुरक्षा के संबंध में इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, IDPH) और इलिनॉय महान्यायवादी कार्यालय (ऑफ़िस ऑफ़ इलिनॉय अटार्नी जनरल) द्वारा जारी मार्गदर्शन को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।[2]

वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स एंड इकॉनमिक अपॉर्चुनिटी, DCEO) ने, IDPH की भागीदारी के साथ, व्यवसायों को सुरक्षित एवं उत्तरदायी ढंग से प्रचालन करने में सहायता देने के लिए उद्योग-विशिष्ट मार्गदर्शन एवं टूलकिट विकसित किए हैं। ये दस्तावेज़ यहां उपलब्ध हैं: https://dceocovid19resources.com/restore-illinois/restore-illinois-phase-4/. यह सरकारी आदेश DCEO के उद्योग-विशिष्ट मार्गदर्शन पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाता है, और जहाँ भी मतभेद हों वहाँ यह DCEO मार्गदर्शन का स्थान स्वयं ले लेता है।

b. **<u>फुटकर दुकानों (रिटेल स्टोर) के लिए आवश्यकताएँ</u>** फुटकर दुकानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी का अभ्यास करें, और उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, जिनमें शामिल हैं:
   - किराने की दुकानों और फार्मेसियों के लिए ग्राहकों की संख्या कुल क्षमता के 50 प्रतिशत तक सीमित करें;
   - सामान्य खुदरा दुकानों, "बड़े बॉक्स" स्टोर जो किराने का सामान बेचते हैं और/या जिनमें फार्मेसी और सुविधा स्टोर शामिल हैं, सहित अन्य खुदरा स्टोरों के लिए ग्राहकों की संख्या उनकी क्षमता के 25 प्रतिशत तक सीमित करें;
   - सभी कर्मचारियों को फेस कवरिंग प्रदान करें; तथा
   - सामाजिक दूरी और फेस कवरिंग की आवश्यकताओं के बारे में दुकान के भीतर संकेतकों और लोक सेवा घोषणाओं और विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों से संवाद करें जैसा कि इस आदेश में निर्धारित किया गया है।; और

c. **<u>निर्माताओं के लिए जरूरतें।</u>** निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं, और उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे:
   - कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त COVID-19 प्रशिक्षण प्रदान करें, भले ही पहले प्रशिक्षण प्रदान किया गया हो;
   - टेस्टिंग प्रोटोकॉल और कांटेक्ट ट्रेसिंग को लागू करने के लिए IDPH के साथ समन्वय करें;
   - उन सभी कर्मचारियों को फेस कवरिंग प्रदान करें जो हर समय न्यूनतम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं;
   - यह सुनिश्चित करें कि सभी स्थान जहां कर्मचारी एकत्रित हो सकते हैं, जिसमें लॉकर रूम और लंचरूम शामिल हैं, सामाजिक दूरी की सुविधा देते हैं; और

---

[2] उक्त मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: https://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID-19_WorkplaceHealth_SafetyGuidance20200505.pdf

- कारखानों/कार्यालयों में केवल विनिर्माण कर्मचारियों और प्रमुख कर्मियों को अनुमति दें, और गैर-विनिर्माण कर्मचारी जब भी संभव हो अपने घर से काम करें;
- COVID-19 आपातस्थिति की प्रतिक्रिया में सामाजिक दूरी संभव बनाने और सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए जिस सीमा तक आवश्यक हो उस सीमा तक कार्यों में संशोधन करें एवं उनका आकार घटाएं (शिफ़्ट का समय बदलना, लाइन गति घटाना, केवल आवश्यक लाइनें संचालित करना, और अनावश्यक लाइनें बंद कर देना)।
- यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की समीक्षा करें कि श्रमिकों को बीमार या संभावित रूप से संक्रामक होने की स्थिति में भी काम करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित नहीं किया जाता है (इसमें उपस्थिति-आधारित प्रोत्साहन वेतन को निलंबित करना और अस्थायी बीमार अवकाश नीतियों को लागू करना शामिल हो सकता है); तथा
- उचित अंतर सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारी यात्रा वैन के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाएं और उसे लागू करें, साथ ही फेस कवरिंग, तापमान जांच, वायु संचरण और वाहन स्वच्छता का पालन करना अत्यावश्यक करें ।

d. **कार्यालय भवनों के लिए आवश्यकताएं।** नियोक्ताओं को कार्यालय भवनों में यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं, और उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, जिनमें ये शामिल हो सकती हैं:
   - सभी कर्मचारियों को फेस कवरिंग प्रदान करें;
   - कार्यालयों को कर्मचारियों की क्षमता के 50 प्रतिशत तक सीमित करें, और जहाँ सीमित स्थान के कारण सामाजिक दुरी का पालन करना संभव न हो वहाँ अधिक कठोर क्षमता सीमा को लागू करने पर विचार करें;
   - जहां संभव हो वहां दूर-से-कार्य (टेलीवर्क) की अनुमति दें; और
   - प्रतीक्षा कमरों, सेवा काउंटरों, और कैफ़ेटेरिया आदि साझा स्थानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं एवं संकेत व संदेश तैयार करें और प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

e. **बैठकों/सभाओं एवं कार्यक्रमों/आयोजनों के लिए आवश्यकताएं।** इनडोर वेन्यू और मीटिंग स्थान जैसे कि मीटिंग रूम, बैंक्वेट सेंटर, निजी पार्टी रूम, निजी क्लब, कंट्री क्लब, और पार्टी बसों को किसी भी आकार की सभा करने की मनाही है। अंतिम संस्कार या विजिटेशन सेवाओं की मेजबानी करने वाले स्थान IDPH मार्गदर्शन के अधीन हैं जो यहाँ उपलब्ध है http://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/funeral-homes.

f. **रेस्त्राओं और बार के लिए आवश्यकताएं।** सभी व्यवसाय जो भोजन या पेय पदार्थों के परिसर में उपभोग की सुविधा देते हैं – जिनमें रेस्त्रां, बार, किराने की दुकान और भोजन हॉल शामिल हैं – लोगों को इनडोर उपभोग की अनुमति नहीं दे सकते। ऐसे व्यवसायों को भोजन और पेय पदार्थों को परोसने के लिए अनुमति जारी रहेगी ताकि वे ऑफ-प्रिमाइसेस का सेवन कर सकें, जैसा कि कानून द्वारा अनुमति है, जैसे कि इन-हाउस डेलिवरी, थर्ड-पार्टी डिलीवरी, ड्राइव-थ्रू और कर्बसाइड पिक-अप। भोजन या पेय पदार्थों का व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास एक ऐसा वातावरण हो जहां ग्राहक पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस अनुभाग में कवर किए गए सभी व्यवसाय DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में और जब स्थानीय अध्यादेशों एवं विनियमों द्वारा अनुमति हो तब, परिसर के अंदर, भवन से बाहर खुले में खाद्य एवं पेय पदार्थों के उपभोग की अनुमति दे सकते हैं।

g. **होटलों के लिए आवश्यकताएं।** होटल के कमरे में केवल पंजीकृत मेहमानों को ही रुकने की अनुमति देनी चाहिए। जब तक केवल आरक्षण मॉडल पर और अधिकतम 25 प्रतिशत

क्षमता के साथ संचालित नहीं किए जाते हैं तब तक फिटनेस सेंटर बंद होने चाहिए। ऊपर सूचीबद्ध बैठकों और कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के अनुसार होटल उनकी मीटिंग और ईवेंट के स्थानों में सभाओं को आयोजित नहीं कर सकते। होटल के रेस्त्रां और बार, ऊपर वर्णित रेस्त्रां और बार की आवश्यकताओं के अधीन हैं, और रेस्त्रां या बार में उपभोग की अनुमति नहीं दे सकते, परंतु टेक-आउट और रूम सर्विस के लिए भोजन उपलब्ध करा सकते हैं।

h. **<u>फ़िटनेस एवं व्यायाम जिम के लिए आवश्यकताएं।</u>** क्षमता को सख्ती से सीमित करना सुनिश्चित करने के लिए फिटनेस और व्यायाम जिम्स में उनकी क्षमता के 25 प्रतिशत का ही उपयोग होना चाहिए,तथा उनमें प्रवेश के लिए आरक्षण आवश्यक होना चाहिए (जिसमें तत्काल आरक्षण शामिल हो सकता है), और वे इनडोर ग्रुप क्लासेस आयोजित नहीं कर सकते। फिटनेस और व्यायाम जिम के भीतर हर समय फेस कवरिंग का उपयोग होना चाहिए। DCEO मार्गदर्शन द्वारा अनुमति के अलावा लॉकर रूम को बंद किया जाना चाहिए।

i. **<u>व्यक्तिगत सेवा इकाइयों के लिए आवश्यकताएं।</u>** व्यक्तिगत सेवाओं की सुविधाएं जैसे कि स्पा, हेयर सैलून, नाई की दुकानें, नाखून सैलून, वैक्सिंग केंद्र, टैटू पार्लर, और इसी तरह की अन्य सुविधाएं खुली हो सकती हैं, परंतु ग्राहकों की उनकी क्षमता के केवल 25 प्रतिशत का ही उपयोग होना चाहिए। व्यक्तिगत सेवाओं की सुविधाओं को हर समय फेस कवरिंग का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए, और उन सेवाओं को निलंबित करना चाहिए जिनके लिए फेस कवरिंग नहीं पहना जा सकता है। मसाज चिकित्सा और शरीरिक उपचारों को जिन्हें चिकित्सा प्रदाता द्वारा आवश्यक समझा गया हो उनकी अनुमति है, परंतु मुलाकातों के मध्य न्यूनतम 15 मिनट का अंतराल होना चाहिए और संस्थानों को प्रत्येक सेवा से पहले और बाद में सेवा कक्षों को सैनीटाइज करने और उनमें स्वच्छ हवा प्रसारित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

j. **<u>मनोरंजन, युवा दिवस शिविर और युवा खेलों के लिए आवश्यकताएं।</u>** यह सरकारी आदेश खेलों और मनोरंजन की इनडोर गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, जिनमें युवा और मनोरंजक खेल (जैसे पार्क डिस्ट्रिक्ट और ट्रेवल लीग) और बोलिंग शामिल हैं। आउटडोर खेलों और मनोरंजन के लिए दस से बड़े समूहों में अनुमति नहीं है, परंतु फेस कवरिंग का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए, सामाजिक दूरी रखने की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए, और DCEO मार्गदर्शन के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु अन्य कदम उठाने चाहिए।

k. **<u>जन कौतुक (एम्यूज़मेंट) के स्थान के लिए आवश्यकताएँ।</u>** इनडोर सार्वजनिक मनोरंजन और मनबहलाव के स्थान (जिसमें निम्न शामिल हैं परंतु सीमित नहीं; आर्केड्स, इनडोर ड्राइविंग रेंज, संग्रहालय और एक्वेरियम, थिएटर और कला प्रदर्शन, दर्शकों के लिए कार्यक्रम और कैसीनो एवं गेमिंग), को इस सरकारी आदेश द्वारा संचालन करने से प्रतिबंधित किया जाता है। आउटडोर मनोरंजक गतिविधियों को 25 प्रतिशत की अधिकतम क्षमता तक सीमित किया जाता है, जिसमें फेस कवरिंग और सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है। आउटडोर गतिविधियों के लिए आरक्षण आवश्यक है, और आउटडोर गतिविधियों के लिए किसी भी समूह में अधिकतम दस लोग ही होने चाहिएं।

l. **<u>फ़िल्म निर्माण के लिए आवश्यकताएं।</u>** फ़िल्म निर्माण, DCEO मार्गदर्शन में वर्णित प्रतिबंधों के साथ प्रचालन कर सकता है।

m. **<u>न्यूनतम बुनियादी और आधारभूत क्रियाएँ।</u>** सभी व्यवसाय निम्नलिखित को जारी रख सकते हैं:

i. व्यवसाय के भौतिक संयंत्र और उपकरणों की स्थिति को बनाए रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रक्रिया पेरोल और कर्मचारी लाभ, या संबंधित कार्यों के लिए व्यवसाय की सूची के मूल्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक गतिविधियां करें।

ii. व्यवसाय के कर्मचारियों की सुविधा के लिए आवश्यक गतिविधियाँ करें जो दूर से काम करना जारी रखने में सक्षम हैं।

iii. पिक-अप या डिलीवरी के माध्यम से ऑनलाइन एवं टेलीफोनिक फुटकर ऑर्डर पूरे करना।

4. **अपवाद।**

a. **मुक्त धर्मपालन।** यह कार्यकारी आदेश मुक्त धर्मपालन को सीमित नहीं करता है। धार्मिक नेताओं, कर्मचारियों, धार्मिक समाज/सभा के सदस्यों/भक्तगणों, और आगंतुकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के संरक्षण के लिए, धार्मिक संगठनों एवं उपासना गृहों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health) से परामर्श करें और विभाग द्वारा अनुशंसित प्रथाओं एवं दिशानिर्देशों का पालन करें।[3] जैसा कि IDPH दिशानिर्देशों में वर्णित है, इस समय धार्मिक संगठनों के लिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि वे अपनी सेवाएं ऑनलाइन, ड्राइव-इन प्रारूप में, या आउटडोर में
(तथा सामाजिक दूरी और फ़ेस कवर पहनने से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करते हुए) प्रदान करें, और सेवाओं को 10 लोगों पर सीमित करें। धार्मिक संगठनों को जोरदार तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर के उपयोग, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्य उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के कदम उठाएं।

b. **आपातकालीन कार्य।** सभी प्रथम उत्तरदाता, आपातकालीन प्रबंधन कर्मी, आपातकालीन डिस्पैचर, न्यायालय कर्मी, कानून प्रवर्तन और सुधार कर्मी, खतरनाक सामग्री उत्तरदाता, बाल संरक्षण और बाल कल्याण कर्मी, आवास और आश्रय कर्मी, सैन्य, आपातकालीन प्रतिक्रिया को सपोर्ट करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से इस कार्यकारी आदेश द्वारा छूट दी गई है, लेकिन सामाजिक दूरी बनाए रखने और सिफारिश किए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

c. **सरकारी कार्य।** यह कार्यकारी आदेश संयुक्त राज्य सरकार पर लागू नहीं होता है और उन सभी सेवाओं को प्रभावित नहीं करता है जो राज्य या किसी भी नगर निगम, टाउनशिप, काउंटी, उपखंड या सरकार की एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती हैं और सरकारी एजेंसियों के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने या समर्थन करने के लिए आवश्यक है।

d. **चुनाव संबंधी कार्य।** यह सरकारी आदेश नवंबर 2020 के आम चुनाव से संबंधित गतिविधियों पर लागू नहीं होता है, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज के एक भाग के रूप में इलिनॉय के राष्ट्रपति पद के निर्वाचकों की दिसम्बर 14, 2020 की बैठक शामिल है। यह सरकारी आदेश दिसंबर 2020 टाउनशिप कॉकस और मल्टी टाउनशिप जिला कॉकस पर लागू नहीं होता है, देखें 60 ILCS 1/45, और नगरपालिका कॉकस, देखें, 10 ILCS 5/10. इन कॉकसेस पर जैसे लागू होती हैं, 2020 के आम चुनाव के लिए राज्यव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। चुनाव मतदान केन्द्रों पर COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ का गाइडेंस देखें जो यहाँ उपलब्ध है https://www.dph.illinois.gov/2020election। इस सरकारी आदेश में कुछ भी कॉकसेस को आभासी रूप से आयोजित होने से नहीं रोकता है, और कॉकस के आयोजनकर्ताओं को आभासी उपस्थिति की सुविधा देने हेतु प्रोत्साहित

[3] उक्त मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/places-worship-guidance

किया जाता है, आउटडोर में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, तथा उन्हें सामाजिक दुरी की सभी जरूरतों का पालन करना होगा।

5. **<u>सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवरिंग, और PPE आवश्यकताएँ</u>**। इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, समाजी दूरी में अन्य व्यक्तियों से कम से कम छह फुट की दूरी बनाए रखना, कम से कम बीस सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोना या जितनी बार संभव हो, हाथ सैनिटाइज़र का उपयोग करना, खांसी या छींक को कवर करना (आस्तीन या कोहनी से, हाथों से नहीं), नियमित रूप से उच्च स्पर्श सतहों की सफाई, और हाथ नहीं मिलाना है।

    a. **<u>आवश्यक उपाय।</u>** व्यवसायों को सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अग्रसक्रिय उपाय करने होंगे, जिनमें, जहां संभव हो वहां, निम्नलिखित शामिल हैं:

        i. **<u>छह फुट की दूरी</u>** उचित दूरी बनाए रखने के लिए कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए साइनेज, टेप या अन्य माध्यमों से छह फुट की दूरी;

        ii. **<u>हैंड सैनेटाइजर्स और सैनेटाइज उत्पाद</u>** कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए आसानी से उपलब्ध हैंड सैनेटाइजर्स और सैनेटाइज उत्पाद

        iii. **<u>अतिसंवेदनशील आबादी के लिए अलग परिचालन घंटे</u>** बुजुर्गों और अतिसंवेदनशील ग्राहकों के लिए अलग परिचालन घंटे लागू करना;

        iv. **<u>ऑनलाइन और रिमोट एक्सेस</u>** ऑनलाइन जानकारी देना कि क्या कोईसुविधा खुली है और यह कि वहाँ तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तथा फोन या रिमोट द्वारा सेवाएं जारी रखना; और

        v. **<u>फेस कवरिंग और PPE.</u>** कर्मचारियों को उचित फेस कवरिंग के साथ प्रदान करना और जहां हर समय छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखना संभव नहीं है, वहाँ यह आवश्यक है कि कर्मचारी फेस कवरिंग पहनें। काम की परिस्थितियों के अनुसार फेस कवरिंग के अलावा अन्य PPE कर्मचारियों को प्रदान करना।

6. **<u>लागू करना</u>**। इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305 की धारा 7, धारा 15, धारा 18 धारा 19 और, अन्य बातों के साथ, यह कार्यकारी आदेश राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन द्वारा लागू किया जाऐगा।

   व्यवसायों को चरण IV के दौरान सुरक्षा उपायों के बारे में इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक ऑपर्चुनिटी,और इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में इलिनॉय अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा दिए गए या प्रकाशित किए गए मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। व्हिसलब्लोअर एक्ट की धारा 25 (बी), 740 ILCS 174 के अनुसार, व्यवसायों को जानकारी का खुलासा करने के लिए कर्मचारी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से प्रतिबंधित किया जाता है, जहां कर्मचारी के पास यह मानने का उचित कारण है कि उक्त जानकारी इस आदेश का उल्लंघन है।

7. **<u>अधिकार पर कोई सीमा नहीं</u>** इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं, जो किसी भी तरह से, राज्य या किसी भी काउंटी, या स्थानीय सरकारी निकाय को आदेश देने (1) किसी भी संगरोध या अलग रखने की अनुमति देने वाले किसी भी मौजूदा कानूनी अधिकार में परिवर्तन या संशोधन करेगा, बस इसे इस लोक स्वास्थ्य आपातकाल की अवधि समेत सीमित अवधि के लिए किसी व्यक्ति को किसी विशेष आवासीय क्षेत्र या चिकित्सा परिक्षेत्र के अंदर रहने के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता हो सकती है या, (2) आपातकालीन लोक स्वास्थ्य की अवधि समेत सीमित अवधि के लिए बंद करने या किसी विशिष्ट स्थान में जाने पर भी रोक लगाई जा सकती है। इस कार्यकारी आदेश में निहित किसी भी बात का अर्थ किसी संगरोध (क्वॉरन्टीन), पृथकवास (आइसोलेशन), या

बंदी का आदेश देने के किसी भी प्राधिकार के उपयोग के रूप में नहीं लिया जाएगा। इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी भी तरह से, किसी भी मौजूदा कानूनी प्राधिकरण को परिवर्तित या संशोधित कर सकता है जो काउंटी या स्थानीय सरकारी निकाय को उन प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है जो इस कार्यकारी आदेश में उन लोगों की तुलना में सख्त हैं।

8. **बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)**। यदि इस अध्यादेश का कोई प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर उसका अनुप्रयोग सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा अमान्य निर्णीत होता है, तो यह अमान्यता अन्य किसी भी प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, और उस अन्य किसी भी प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश को अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है। इस कार्यकारी आदेश के संबंध में यह कार्यकारी आदेश का आशय किसी भी न्यायालय के आदेश के साथ पढ़ा जाना है।

____

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker) राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल द्वारा नवंबर 18, 2020 को जारी
राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा नवंबर 18, 2020 को दायर